उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709123

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00139	आर.के.एस.बिल्डकौन इण्डिया प्रा. / लि., 202 अपोजिट वैटरनी हास्पीटल / बुराडी,दिल्ली द्वारा डायरेक्टर कान्ती प्रसाद गुप्ता / आर.डी.गुप्ता / KI-33 कविनगर,गा.बाद	1415फ 1415फ 1415फ	1059मि 1059 मि 1060मि	1.2650 2.6180 0.8025		1419-फ, न्यायालय उपजिलाधिकारी गा.बाद वाद सं. 73/ 2010-11 धारा 143 ज.वि. अधि. ग्राम नूरनगर आर.के.एस. बिल्डकौन इन्डिया प्रा.लि. बनाम उ.प्र. सरकार में दिनांक 4.10.11 को आदेश हुआ कि खाता न. 712 क खसरा न. 1059मि. रकबा 0.12650 है. व खाता न. 713 के खसरा न. 1059मि./ 1.353 है. व खाता न. 478 के खसरा न. 1059मि./ 1.2650 है. व खाता न. 479 के खसरा न. 1059मि./ 1.2650 है. भूमि स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी जिसके मध्य खसरा न.4058 एवं 1092 नदी भूमि को छोड़कर वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गाजियाबाद की आज्ञा , शासनादेशो के क्रम में स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अपना स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1984 (अधिनियम सं. 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्राविधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगे, अकृषिक घोषित किया जाता है । यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या वर्णित भूमि अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति की भूमि है और बिना अनुमति क्रय / विक्रय करने की नीयत से धारा	

143 उ.प्र. ज.वि. अधि. का

प्रख्यापन कराया जा रहा है तो उस पर अधिनेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । ह.अ.र.का. 7.11.2011 ।

1422-क. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिचांई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वादस. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13- 84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर दि.

दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 मे उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जाये।विवरण निम्नवत है :- ग्राम सूरनगर ,254. आर.के.एस. बिल्डकौन इन्डिया प्रा.लि. द्वारा कान्ती प्रसाद सुत पुत्र आर.डी. गुप्त नि. 220 ग्राम बुराडी दिल्ली अस्थायी पता के0आई0 33 कविनगर गाजियाबाद, 255. एम0आर0 प्रो0ष्ट रियल्टेक

प्रा0लि0अपिस 190 सैनी इन्क्लेव विकास मार्ग एक्स0 दिल्ली द्वारा अभिकृत हस्ताक्षरी दिनेश कुमार पुत्र भीम सैनी ,खाता न. 924, खसरा न. 1060 अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.2250 है. ,मा.गु. जो कम की जायेगी 7.62 रू , फसल व सन जबसे आदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ. ,अन्यविवरण मास्टर प्लान

रोड हेतु । ह.अ.कलेक्टरभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का. 26.2.15 ।

1422-क. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिचांई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वादस. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13- 84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर

						दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियो (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 मे उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जावे।विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर , 317. आर.के.एस. बिल्डकोन इन्डिया प्रा.लि. नि. 220 ग्राम बुराडी दिल्ली द्वारा कान्ती प्रसाद गुप्ता पुत्र आर.डी. गुप्ता नि. उक्त, खाता न. 478 खसरा न. 1059मि अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.2666 है. मा.गु. जो कम की जायेगी 9.41 रू. , फसल व सन जबसे आदेश लागू होना 1415 से 1420 रू., अन्यविवरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का.26.2.15 । 1422-फ. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) शिवांई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वादस. 2 सन्2011 मे उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13- 84 एल0एए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियो (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 मे उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जावे।विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर , 319. आर.के.एस. बिल्डकॉन इन्डिया प्रा.लि. 22 अपोजिट वेटरनी हॉस्पिटल बुराडी दिल्ली द्वारा डायरेक्टर कान्ती प्रसाद गुप्ता पुत्र आर.डी. गुप्ता निवासी के.आई. 33 कविनगर गा.बाद । खाता न. 712	

						खसरा न. 1059मि. अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.2666 है., मा.मु. जो कम की जायेगी 9.41 रु , 320. आर.के.एस. बिल्डकॉन इन्डिया प्रा.लि. 22 अपोजिट वेटरनी होस्पिटल कुतबी दिल्ली द्वारा डायरेक्टर कान्ती प्रसाद गुप्ता पुत्र आर.डी. गुप्ता नि. के.आई. 33 कविनगर गाजियाबाद , खाता न. 713 खसरा न. 1059मि. अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.2852 है., मा.मु. जो कम की जायेगी 9.41 रु , फसल व वृक्ष जबसे आदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यकिरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.रा.का.26.2.15 ।	
			3	4.6855	₹ 162.00	19	0

कुल गाटे- तीन कुल क्षेत्रफल- चार दशमलव छः अठ पीच पीच (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक छः दो दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN
तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद
दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:08:31
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709117

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00246	एम.आर.प्रोव् रियलटैक प्रा.लि. / आफिस 190सैनी एन्कलेव,विकास / मार्ग एक्स.दिल्ली द्वारा डायरेक्टर विकास कुमार रावत / मांगेराम / उक्त	1418फ	1049मि	0.9860		1419-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी गाजियाबाद वाद स. 33/2011-12 धारा 143 ज0वि0 अधि0 ग्राम नूरनगर एम0आर0 प्रोव् प्र0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार मे दिनांक 05.03.12 के द्वारा खाता न. 390 के खसरा न. 1048मि. रकबा 1.2542 है. व खाता न. 1003 के खसरा न. 1049/0.493 है. को अकृषिक घोषित किया गया । ह.अ.र.का. 17.3.12 । 1419-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी वाद स. 67/ 11-12 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 अधि0 ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद मैसर्स अजनारा इण्डिया प्रा.लि. बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 23.6.12 को आदेश हुआ कि खाता न. 1003 खसरा न. 1049मि. रकबा 0.4930 है. व खाता न. 424 खसरा न. 1050 रकबई 0.9840 है. मा.पु. फर्द फाट राजस्व अभिलेखो मे संक्रमणीय भूमि तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या एवं शासनादेश क क्रम में स्टाम्प अवधंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू.उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम सं. 1	

						सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्रतिबन्ध पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगे, अकृषिक घोषित किया जाता है । यदि प्रस्तुत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित हो तो उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण / सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं करेगा तथा भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करेगा । ह.अ.र.का. 30.6.12 । 1422-क. प्रार्थना पत्र विविध दिनांक 16.8.14 पर कार्यालय अवस्था पर पृष्ठांकित आदेश दि. 1.9.14 के अनुसार खाता न. 246 पर ख.न. 1049मि. का क्षेत्रफल 0.9860 है, के स्थान पर 0.4930 है. दर्ज होवे । ह.अ.र.का. 6.9.14 ।	
			1	0.9860	₹ 14.90	7	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ आठ छः शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक चार दशमलव नौ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त उतारा खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN

तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद

दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:03:52

यह उतारा खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709119

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनौक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00245	एम.आर.प्रोव्यू रियलटैक प्रा.लि. / आफिस 190सैनी एन्कलेव,विकास / मार्ग एक्स.दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी दिनेश कुमार शर्मा / भीमसैन शर्मा / उक्त कम्पनी	1420फ	1060मि	0.1945		1422-क. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सियांई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वाद्स. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13- 84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 मे उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जाये।विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर , 254. आर.के.एस. बिल्डकौन इन्डिया प्रा.लि. द्वारा कान्ती प्रसाद गुप्ता पुत्र आर.डी. गुप्ता नि. 220 ग्राम बुराडी दिल्ली अभ्यापी पता के0आई0 33 कविनगर गाजियाबाद, 255. एम0आर0 प्रो0व्यू रियलटेक प्रा0लि0 आफिस 190 सैनी इन्कलेव विकास मार्ग एक्स0 दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्त0 दिनेश कुमार पुत्र भीम सैन शर्मा खाता न. 924, खसरा न. 1060 अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.2250 है.	

						,मा.गु. जो कम की जायेगी 7.62 म , फसल व सन जबसे अधिग्रहण लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यविभाग मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अभ्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का. 26.2.15 ।	
			1	0.1945	₹ 8.55	5	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक नौ चार पाँच (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - अठ दशमलव पाँच पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त उतारा खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN
तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद
दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:06:16
यह उतारा खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709120

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : सूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो।							
00247	एम.आर.प्रोप् रियलटैक प्रा.लि. / आफिस 190सैनी एन्कलेव,विकास / मार्ग एक्स.दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी राजेन्द्रप्रसाद तिवारी / टी.एन.तिवारी / उक्त कम्पनी	1416फ	984	0.3090			
			1	0.3090	₹ 8.70	0	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव तीन शून्य नौ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - अठ दशमलव सात शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN
तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद
दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:06:27
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा इसे डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709121

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार मे हो।							
00249	एम.आर.प्रोव् रियल्टैक प्रा.लि. / आफिस 190सैनी एन्कलेव,विकास / मार्ग एक्स.दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी राजेन्द्रप्रसाद तिवारी / टी.एन.तिवारी / उक्त कम्पनी हस्ताक्षरी सूदन रावत / मांगेराम / उक्त कम्पनी	1419फ 1420फ 1420फ	898मि 542 985	1.0960 0.4090 0.2740		1420फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा.कले.(प्रथम श्रेणी) गा.बाद वाद स.90/2011-12 अन्तर्गत धारा 143 उ.प्र.ज.वि.अधि. ग्राम नूरनगर एम.आर.प्रोव् रियल्टेक प्रा.लि. बनाम उ0प्र0 सरकार ---- आदेश ---- ग्राम नूरनगर परगना लोनी खतौनी वर्ष 1415-1420फ. के खाता न.263 के ख.न.898मि. रकबई 1.0960 है. राजस्व अभिलेखो मे वादी के नाम वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि तह.गाजियाबाद की अखण्ड व शासनादेशो के क्रम मे स्टाम्प अवचंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू.उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894(अधिनियम सं. 1 सन 1984) की धारा 4 की उपधारा 1 संबन्धी प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत लागू रोने, अकृषिक घोषित किया जाता है । एसडी0 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद 24.7.12 । ह.अ.र.का. 24.8.12 । 1422-क न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहा0 कले0 प्रथम श्रेणी गा0बाद वाद स. T20141128015614 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 अधि0 ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद एम.आर. प्रोव् रियल्टेक प्र0लि0 बनाम उ0प्र0	

						सरकार आदेश दि. 6.6.14 --- ग्राम नूरनगर परगना लोनी खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420फ के खाता न. 959 के ख.न. 542 रकबा 0.409 है. वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या , शासनादेशो के क्रम मे स्टाम्प अवमंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भूमि - उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 अधिनियम स. 1 सन 1984 की धारा 4 की उप धारा 1 संबन्धी प्रविज्ञप्ति पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगी, अकृषिक घोषित किया जाता है । एसडी0 कुन्दन सिंह, उपजिलाधिकारी / सहा0कले0 प्रथम श्रेणी गाजियाबाद । ह.अ.ए.का. 16.9.14 ।	
			3	1.7790	₹ 70.70	6	0

कुल गाटे- तीन कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव सात सात नौ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - सात शून्य दशमलव सात शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त प्रपत्र खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN

तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद

दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:06:37

यह प्रपत्र खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709122

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : सूनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
01287	रमेशचन्द / सरजीत / नि. ग्राम दयानन्द / सरजीत / नि. ग्राम एम.आर.प्रोव्ह् रियलटैक प्रा.लि. / आफिस 190सैनी एन्कलेव,विकास / मार्ग एक्स.दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी राजेन्द्रप्रसाद तिवारी / टी.एन.तिवारी / उक्त कम्पनी	पृ.1384फ	986	0.3730			
			1	0.3730	₹ 7.65	0	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव तीन सात तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - सात दशमलव छः पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर आनर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN

तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद

दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:06:47

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709118

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00243	एम.आर.जे.बी.कन्सट्रक्सन कम्पनी / आफिस A-24योजना विहार,दिल्ली / द्वारा पार्टनर जे.के.गोयल / एन.एल.गोयल / B-174योजना विहार,दिल्ली	1420फ 1419फ 1420फ 1420फ 1420फ	1068 1045 1046 1047 1067	0.7550 0.4120 0.4160 0.4160 0.7650		1421-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गा.बाद वाद सं. 140/12-13 धारा 143 उ0प्र0 ज0नि0अधि0 ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद एम.आर.जे.बी. कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी बनाम उ0प्र0 सरकार आदेश दि. 27.9.13 --- ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420 के खाता न. 214 के खसरा न. 1068 रकबा 0.7550 है. खाता न. 315 के खसरा न. 1045 रकबा 0.412 है., खाता न. 676 के खसरा न. 1046 रकबा 0.416 है., खाता न. 934 के खसरा न. 1067 रकबा 0.765 है. खाता न. 852 के खसरा न. 1047 रकबा 0.416 है. वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गा.बाद की आज्ञा शासनादेशो के क्रम में स्टाम्प अपवंचना रोक ने के उद्देश से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम सं. 1 सन 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्रावधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगे, अकृषिक घोषित किया जाता है (एसडी0	

						केश कुमार उपजिलाधिकारी गा.बाद । ह.अ.र.का. 28.12.13 । 1422-फ. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिचांई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वादस. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन अवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 /8-3-13-84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 मे उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जाये । विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर , 51.एम.आर.जे.बी. कन्सट्रेक्शन कम्पनी आफिस ए 24 योजना विहार दिल्ली द्वारा पार्टनर जे.के. गोयल पुत्र एस.एल. गोयल नि. बी 174 योजना विहार, खाता न. 214 खसरा न. 1068 अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.1800 है. ,मा.मु. जो कम की जायेगी 6.56 रू , फसल व सन जबसे अदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यविवरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का.26.2.15 । 1422-फ. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिचांई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वादस. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन अवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13- 84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 मे उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	

						गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जाये।विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर , 257.एम.आर.जे0वी0 कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी आफिस ए 24 योजना विहार दिल्ली द्वारा पार्टनर जे0के0 गोयल पुत्र एल0एल0 गोयल निवासी बी 174 योजना विहार दिल्ली, खाता न. 934 खसरा न. 1067 अन्यासि भूमि का क्षेत्रफल 0.2025 है. ,मा.गु. जो कम की जायेगी 10.00, फसल व सन जबसे अवैध लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यविवरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अन्यासि प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का.26.2.15 ।	
			5	2.7640	₹ 126.80	12	0

कुल गाटे- पाँच कुल क्षेत्रफल- दो दशमलव सात छः चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक दो छः दशमलव आठ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त अंश खतौनी का वेरिफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN

तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद

दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:04:12

यह अंश खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 216964201709116

ग्राम क्रमांक : 216964 ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
00248	एम.आर.प्रोम् रियलटैक प्रा.लि. / आफिस 190सैनी एन्कलेव,विकास / मार्ग एक्स.दिल्ली द्वारा डायरेक्टर राजीव अरोड़ा / ओमप्रकाश अरोड़ा / उक्त कम्पनी	1418फ	1048मि	1.2542		1419-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी गाजियाबाद वाद स.33/2011-12 धारा 143अ0वि0 अधि0 ग्राम नूरनगर एम0आर0प्रोम् प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार मे दि.05.03.12 के द्वारा खाता न.390 के खसरा न.1048मि. रकबा 1.2542 है. व खाता न. 1003 के खसरा न.1049/0.493है. को अकृषिक पोषित किया गया।ह.अ.र.का.17.3.12 ।	
			1	1.2542	₹ 62.00	2	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो पाँच चार दो (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - छः दो दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN

तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद

दिनांक एवं समय: 28-09-2017 07:03:38

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।